②

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 190 / 2021

तेजस्विनी शर्मा, निवासी मान नगर, रोड नं0 2, झुंझुनूं (राजस्थान) मो0 नं0 9887852599

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 190 / 2021 पर दिनांक 08.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थीया द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थीया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 2998—99 दिनांक 08.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 396 दिनांक 20.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया तेजस्विनी शर्मा, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष, बी—89 मान नगर, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी जिसके क्रम मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व / 2021 / 393 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा प्रार्थिया को सूचना प्रेषित कर अवगत कराया गया कि न्यायालय मे दर्ज प्रकरण मु0न09 128 / 21, 129 / 21, 130 / 21, 131 / 21 अ0धा0 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित नकले राजस्थान रेवन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 के अनुसार ही देय है। अतः अपीलार्थीया की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थीया सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थीया ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 मे सूचना चाही है उसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं पत्रांक आर0टी0आई0 / 2021 / 396 दिनांक 20.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया तेजस्विनी शर्मा, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष, बी—89 मान नगर, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी जिसके क्रम मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व / 2021 / 393 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा प्रार्थिया को सूचना प्रेषित कर अवगत कराया गया कि न्यायालय मे दर्ज प्रकरण मु0न09 128 / 21, 129 / 21, 130 / 21, 131 / 21 अ0धा0 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित नकले राजस्थान रेवन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 के अनुसार ही देय है। चूंकि अपीलार्थीया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई है। अतः अपीलार्थीया का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थीया को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करावें।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं